निर्णय वइजलास श्री दिवांषु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या बी.43/2018 प्रार्थना पत्र
दायरा दिनांक :– 18.06.2018
निर्णय दिनांक :– 30.9.21

उनवान

1. प्रेम बाई पत्नी भगवानदास उर्फ भगवानलाल जाति महाजन निवासी अस्पताल रोड बारां।

बनाम

1. नगर परिषद् बारां जर्ये आयुक्त नगर परिषद् बारां जिला बारां राज.
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां।
3. उप पंजीयक अधिकारी महोदय, बारां।

वाद अन्तर्गत धारा , 212 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 30.9.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाष मेहता एडवोकेट – वादी
2 श्री हरिओम चतुर्वेदी एडवोकेट – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आषय का पेष किया गया, कि वाके कस्बा तहसील बारां मे आराजी खसरा नं. 377 रकबा 0.61 है. खसरा नं. 378 रकबा 0.04 है. कुल दो किता कुल रकबा 0.65 है. सम्वत् 2072–75 की जमाबंदी में अप्रार्थी क्रम 1 नगरपरिषद् बारां के खातेदारी में दर्ज है। कस्बा बारां की अराजी खसरा नं. 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा जिसके हाल सेटलमेन्ट 2038–57 में खसरा नं. 377 रकबा 0.61 है. खसरा नं. 378 रकबा 0.04 है. कायम किए गए जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड खसरा नं. 377 रकबा 0.61 है. गैर मुमकिन आबादी व खसरा नं. 378 रकबा 0.04 है. जो वर्तमान में खसरा नं. 378 रकबा 0.17 है. गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थीयां के पति स्व. भगवानदास उर्फ भगवानलाल पुत्र सूरजमल जाति महाजन को दिनांक 11.07.1960 को खसरा नं. 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व खसरा नं. 278 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा आवंटित की गई थी जिसका नोट खसरा गिरदावरी सम्वत् 2015–18 में कॉलम संख्या 32 में खसरा नं. 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा मे आवंटन दिनांक 11.07.1960 का नोट अंकित है इसी प्रकार खसरा गिरदावरी समवत् 2019 से 20 में कॉलम संख्या 1 में अलोटमेंट का नोट अंकित है जो खसरा नं. 284 रकबा 15 बिस्वा किस्म बंजड थी जो प्रार्थीया के पति को आवंटित की गई थी किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा सेटलमेंट सम्वत् 2038–57 में नई जमाबंदी तैयार करते वक्त खसरा नं. 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा के नए

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

नम्बर 377 रकबा 0.61 है. एवं खसरा नं. 378 रकबा 0.04 है. कायम करते वक्त खातेदारी में भगवानदास उर्फ भगवानलाल पुत्र सूरजमल जाति महाजन का नाम अंकित न करके सिवायचक दर्ज कर दिया गया व उसके पश्चात् बिना प्रार्थीयां के पति व प्रार्थीयां को सुने राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन किया गया व राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व में 11.07.1960 से पूर्व प्रार्थीया के पति का एवं प्रार्थीयां के पति के देहांत के पश्चात् प्रार्थीया का आज दिनांक तक निरंतर कब्जा काष्त होने के बावजूद बिना उसे किसी प्रकार की सूचना दिए उक्त दोनो खसरा नं. 377 व 378 गैर मुमकिन प्राबादी के रूप में दर्ज कर दिए गए जो वर्तमान में नगरपिरषद् बारां के खाते दर्ज है किन्तु वर्तमान में भी कब्जा काष्त प्रार्थीया का है व मौके पर सरसों की फसल खडी हुई है। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई त्रुटि को प्रार्थीया दुरूस्त करवाकर अपने पति स्वर्गीय भगवानदास उर्फ भगवानलाल पुत्र सूरजमल जाति महाजन को किए गए आवंटन दिनांक 11.07.1960 के आधार पर अपने खातेदारी अधिकारे की घोषणा करवाकर अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करा सकने की अधिकारणी एवं नालिषी है तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा भी प्राप्ति करने की अधिकारणी है।

आराजी खसरा नं. 377 रकबा 0.61 है. व खसरा नं. 378 रकबा 0.17 है. वर्तमान में गैर मुमकिन आबदी के रूप में अप्रार्थी क्रम 1 नगरपरिषद् बारां/नगरपालिका बारां के खातेदारी में दर्ज है इस कारण अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा गलत रूप से प्रार्थीया के स्वामित्व एवं उसके पति को आवंटित शुदा आराजी का नोटिस गलत रूप से प्रार्थीया के स्थान पर प्रार्थीया के काष्त व्यवस्था के प्रतिनिधी श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीलाल जाति मीणा निवासी मेलखेडी को गलत रूप से जारी किया गया है जबकि 11.07.1960 के पूर्व से ही प्रार्थीया के पति एवं उसके दहांत के बाद से प्रार्थीया का निरन्तर जायज अर्सा 70 वर्ष से अधिक से कब्जा काष्त चला आ रहा है इस प्रकार लम्बे समय से कब्जे के आधार पर भी प्रार्थीया के पति को आवंटन के आधार पर भी उसके खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है तथा राजस्थान काष्तकारी अधिनियम प्रभावी होने की दिनांक 15.10.1955 के पूर्व ही प्रार्थीयां के पति का कब्जा काष्त होने से स्वतः ही प्रार्थीया के पति खातेदार हो चुके थें इस प्रकार राजस्थान काष्तकारी अधिनियम की धारा 63(4) के अनुसार भी प्रार्थीया के हक व हकूक परिपक्व होने के कारण प्रार्थीया कस्बा बारां की अराजी जो पूर्व खसरा नं. 284 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा वर्तमान सेटलमेंट 2038–57 में कायम किए गए खसरा नं. 377 रकबा 0.61 है. व खसरा नं. 378 रकबा 0.17 है. पर आने खातेदारी अधिकारी की घोषणा करवाकर अप्रार्थी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हावाकर आना नाम अंकित करा पा सकने की अधिकारणी है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र ठोस तथ्यों पर आधारित है तथा सुविधा का संतुलन भी हर प्रकार से प्रार्थीया के पक्ष में है। यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देष्य में कामयाब हो गए तो प्रार्थीया का अपूणीय क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि. कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी क्रम 1 की ओर से एवं अप्रार्थी क्रम 2 की ओर से जवाब पेष हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम बारां सम्वत् 2072–75 खाता सं. 495, नकल आवंटन रजि. सत्र 1960, नकल नक्षा ट्रेस, नकल मिलान क्षैत्रफल सम्वत् 2038–57 ग्राम बारां, नकल जमाबंदी ग्राम बारां सम्वत् 2064–67 खाता सं. 432 पेष की गई।

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके कस्बा बारां में स्थित है जो नगर परिषद् बारां के खातेदारी में दर्ज है। ख.नं. 377 रकबा 0.61 है. एवं ख.नं. 378 रकबा 0.04 है. भूमि दिनांक 11.07.1960 को भगवानलाल को आवंटित हुई थी। साबिक ख.नं. 284 रकबा 3.15 बीघा जिसके हाल ख.नं. 377 रकबा 0.61 है. ख.नं. 378 रकबा 0.04 है. कायम किए गए वर्तमान ख.नं. 377 रकबा 0.61 है. गैर मु.आबदी ख.नं. 378 रकबा 0.04 है. जो वर्तमान में ख.नं. 378 रकबा 0.17 है. गैर मु. आबदी दर्ज है। उक्त आराजी प्रार्थी के पति भगवानलाल को दिनांक 11.07.1960 को ख.नं. 284 रकबा 3.15 बीघा, ख.नं. 278 रकबा 2.18 बीघा आवंटित की गई थी परन्तु सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा नई जमाबंदी तैयार करते समय भगवानलाल के खाते दर्ज न करके सिवायचक दर्ज कर दिया। प्रार्थी द्वारा मिलान क्षैत्रफल की नकल पेष की है। प्रार्थी का उकत आराजी पर कब्जा काप्त चला आ रहा है। आज भी मेरा कब्जा है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि नगर पिरषद् की सीमा में है। वादी द्वारा नगर परिषद् को नोटिस नही दिया। बिना नोटिस दिए दावा पेष कर दिया है जो चलने योग्य नही है। वादी द्वारा भगवानदास को आवंटन होना बताया है। आवंटन की नकल पेष नही की गई है ना ही दखलनामा की नकल पेष की। भगवानदास उर्फ भगवानलाल दोनो अलग–अलग नाम है। वादी द्वारा आवंटन का कोई विधिक दस्तावेज पेष नही किया है। यदि वादी को भूमि आवंटन हुई थी तो वादी को गैर खातेदारी मिली होगी कोई दस्तावेज पेष नही किया है। वादी द्वारा दखल देने का भी दखलनामा पेष नही किया है। वादी द्वारा दावे में कथन किया है। सेटलमंट का, सेटलमेंट से पहले का भी कोई दस्तावेज वादी द्वारा पेष नही किया है। वादी को नगर परिषद् ने अतिक्रमी मानते हुए नोटिस दिया है। विवादित भूमि को जगदीश, हेमराज वगे0 ने 3 लाख रू. में श्रवणलाल पुत्र पृथ्वीलाल जाति मीणा को बेचान की गई जिसका 100 रू. के स्टाम्प पर इकरार नामा लिखवाया गया। विवादित भूमि का नगर परिषद् बारां ने वर्ष 2014 में छात्रावास बनाने के लिए प्रस्ताव ले लिया जिसकी समिति भी बनी हुई है। प्रार्थी को खातेदारी प्राप्त करने का कोई अधिकार नही है। इनका (प्रार्थी) का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी कस्बा बारां सम्वत् 2072–75 खाता सं. 495 के अनुसार ख.नं. 377 रकबा 0.61 है. भूमि गैर मु. आबादी में दर्ज है। जो वर्तमान में नगर परिषद् बारां के खातेदारी में है। नकल आवंटन रजिस्टर वर्ष 1960 के अनुसार ख.नं. 284 रकबा 3.15 बीघा एवं 278 रकबा 2.18 बीघा भूमि आवंटन होना अंकित है। परन्तु वादी द्वारा मात्र आवंटन रजिस्टर की फोटो प्रति पेश की गई है। प्रार्थी द्वारा आवंटन पट्टा एवं वादी को दखल देने का दखलनामा व गैर खातेदारी दर्ज होने की जमाबंदी पेष नही की गई है। जिससे यह साबित हो सके की वादी को उक्त भूमि आवंटन हुई थी। वादी आवंटन साबित करने में विफल रहे है। तहसीलदार से उक्त भूमि के सम्बंध में रिपोर्ट ली गई। मौका कमिष्नर रिपोर्ट में बताया कि कस्बा बारां की आराजी ख.नं. 377 रकबा 0.61 है. व 378 रकबा 0.04 है. भूमि का मौका निरीक्षण किया गया वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2075–75 में ख.नं. 377 रकबा 0.61 है. भूमि गैर मु.

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

आबादी नगर परिषद् बारां के खाते में दर्ज है व ख.नं. 378 रकबा 0.04 है. भूमि गै.मु. रास्ता खाता सरकार दर्ज है। मौके पर उक्त भूमि पर प्रेम बाई पत्नी स्व. भगवानलाल जाति महाजन नि. अस्पताल रोड बारां का कब्जा पाया गया एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर सरसों की फसल की बुवाई होना पाया गया। इससे यह तथ्य सामने आया कि विवादित भूमि पर कब्जा प्रार्थीया का है परन्तु विवादित भूमि गैर. मु. आबादी नगर परिषद् बारां के खाते में दर्ज है तथा गैर मु. रास्ता खाता सरकार के नाम दर्ज है। क्योकि विवादित भूमि गै. मु. आबादी व गै.मु. रास्ता में दर्ज है। ओर नगर परिषद् बारां के खातेदारी में दर्ज होने के कारण गैर मु. आबादी की भूमि को सुनने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। सिविल न्यायालय को है तथा नगर पिरषद् बारां द्वारा छात्रावास हेतु भूमि का प्रस्ताव लेना वकील प्रतिवादी द्वारा बताया गया है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां

उप खण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner